

बेटी आई, खुशियां लाई

1. **मुख्यमंत्री राजश्री योजना**— राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है।

इस योजना के तहत 01 जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता / अभिभावक को कुल राशि रूपये 50,000 अधिकतम का भुगतान विभिन्न चरणों में किया जायेगा।



इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म व प्रथम वर्षगांठ पर क्रमशः 2500 रु. 2500 रु. का भुगतान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रु., राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 व 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5,000 रु. एवं 11,000 रु. तथा राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25,000 रु. का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जायेगा। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

बेटी का जन्म, लक्ष्मी का आगमन

2. पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट—मुखबिर प्रोत्साहन योजना:—

चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग जांच संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। योजनान्तर्गत भ्रूण के लिंग परीक्षण या भ्रूणहत्या की पुख्ता सूचना देने वाले मुखबिर को गोपनीयता रखते हुए प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान है। मार्च 2015 से यह राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रू. कर दी गई है। (सम्बंधित: स्वास्थ्य विभाग)


3. “बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ” अभियान बना सार्थक :-

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा “बेटी बचाओं—बेटी पढ़ाओं” योजना का शुभारम्भ 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) में भारत के 100 जिलों के लिए किया गया। द्वितीय चरण में 61 जिले और जोड़े गये हैं। राजस्थान में प्रथम चरण में सबसे कम लिंगानुपात वाले 10 जिले (अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, झुन्झुनू, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर) शामिल किये गये। द्वितीय चरण में 4 जिले (हनुमानगढ़, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर) और शामिल किये गये हैं। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य में शिशु लिंगानुपात में तेजी से सुधार हो रहा है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)



सुरक्षित प्रसव, जीवन में लाये उत्सव

- 1. राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना**— मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसूताओं व एक वर्ष तक की उम्र तक के बीमार नवजात शिशुओं पर होने वाले चिकित्सा खर्च के बोझ को कम किए जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के लिए (एक वर्ष की उम्र तक) निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधा, निःशुल्क रक्त सुविधा, निःशुल्क रेफरल सुविधा एवं यूजर चार्ज से छूट देय हैं। (सम्बंधित: स्वास्थ्य विभाग)
- 2. जननी सुरक्षा योजना**— मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु सितम्बर 2005 में यह योजना लागू की गई। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की उन महिलाओं को मिलता है, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं। बी.पी. एल. महिलाएं जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो, उनको भी इस योजना में लाभ मिलता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रु. व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000रु. की राशि प्रदान की जाती है। (सम्बंधित: स्वास्थ्य विभाग)



पढ़ी लिखी बेटी घर का मान—सम्मान

3. **इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना**— उदयपुर एवं भीलवाडा जिलों में पायलेट परियोजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके 0—6 माह के नन्हें शिशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए यह योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करा उनके समुचित पोषण व स्वास्थ्य की सुनिश्चितता करना है। इस योजना में सभी वर्गों की 19 वर्ष या उसके बाद गर्भधारण करने वाली महिलाओं को प्रथम दो प्रसव तक लाभ देय है। लाभ में दो जीवित जन्मों पर गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में कुछ शर्तें पूरी करने पर 3000रु. तथा प्रसव के 6 माह बाद शर्तें पूरी करने पर 3000 रु. दिए जाते हैं। (संबंधित: समेकित बाल विकास सेवाएं)
4. **प्रसूति सहायता योजना**— महिला हिताधिकारी को, जिनकी प्रसव के समय आयु 20 वर्ष से कम न हो, प्रसूति हितालाभ अधिकतम 2 प्रसव हेतु देय है। लड़के का जन्म होने पर रूपयें 20,000/— तथा लड़की का जन्म होने पर रूपये 21,000/— की सहायता राशि देय है। (संबंधित: श्रम विभाग)
5. **प्रेरणा योजना**— इस योजना में महिला की शादी 19 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद होने एवं पहले बच्चे का जन्म शादी के दो वर्ष बाद होने पर 10,000रु. (लड़का) व 12000रु. (लड़की) देय है। (सम्बंधित: स्वास्थ्य विभाग)

पोषण व सेहत : हर बेटी का है अधिकार

1. समेकित बाल विकास सेवाएं (टीकाकरण सहित)

कार्यक्रम— योजनान्तर्गत 6 वर्ष तक उम्र के शिशुओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को विभाग द्वारा पूरक पोषाहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण एवं

रेफरल सेवाओं आदि के रूप में 6 सेवाएं आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 3 वर्ष आयु तक के बच्चों व गर्भवती-धात्री महिलाओं को निर्धारित टेकहोम



राशन एवं 3-6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता व दोपहर का गर्म खाना उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार 3-6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को शाला-पूर्व शिक्षा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों एवं महिलाओं में संक्रामक रोगों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 0-1 वर्ष आयु के बच्चों को टी.बी., गलधोंटु, कालीखाँसी, टिटनेस, पोलियो व खसरा तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके आँगनबाड़ी केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगवाये जाते हैं। टीकाकरण कार्य आँगनबाड़ी केन्द्रों पर

बेटा-बेटी एक समान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों द्वारा किया जाता है। (संबंधित: समेकित बाल विकास सेवाएं)

2. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला):—

सबला योजना भारत सरकार की योजना है। योजना राज्य के दस जिलों—बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर एवं उदयपुर में कुल 114 परियोजनाओं में क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा गैर पोषणीय सेवाएं एवं निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग द्वारा पोषणीय सेवाएं प्रदान की जा रही है। सबला योजना में 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु पोषणीय एवं गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। किशोरी बालिकाओं को पोषाहार दिये जाने के साथ साथ IFA अनुपूरण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही जाँच व रेफरल सेवाएं दिये जाने के अतिरिक्त जीवन कौशल व विभिन्न आधारभूत विषयों यथा— स्वास्थ्य व पोषण, स्वच्छता, शिशु पालन, गृह प्रबंधन आदि पर जानकारी दी जाती है। योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। (सम्बंधित: महिला एवं बाल विकास विभाग)

3. किशोरी शक्ति योजना:— भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना राज्य के 23 जिलों की 190 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है। राज्य में उक्त

योजनान्तर्गत 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु पोषणीय सेवाएँ निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा एवं गैर पोषणीय सेवाएँ निदेशालय, महिला अधिकारिता द्वारा संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर रोटेशन आधार पर दो कुपोषित किशोरियों को सप्ताह में 6 दिन पूरक



पोषाहार उनके सामान्य श्रेणी में आने तक उपलब्ध कराया जाता है। (सम्बंधित: महिला एवं बाल विकास विभाग)

4. **मिशन पूर्ण शक्ति** – राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के चहुँमुखी विकास की प्रक्रिया को सद्दृढ करने हेतु प्रारम्भ किया गया एक प्रयास है। योजना का ध्येय विभिन्न समन्वयन रणनीतियों के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व शिक्षा, विभिन्न सरकारी योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच, घटते हुए शिशु-लिगांनुपात तथा महिलाओं के प्रति हिंसा आदि विषयों के बारे में उन्हें जागृत करना है। यह



कार्यक्रम पाली जिले की 150 ग्राम पंचायतों एवं बून्दी जिले की चयनित 10 ग्राम पंचायतों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

5. **किशोरी स्वास्थ्य योजना**— राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10—19 वर्ष के किशोर व किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत साप्ताहिक आयरन व फोलिक एसिड पूरक उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम, किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक बनाने एवं तिमाही किशोर स्वास्थ्य दिवस आयोजित करने आदि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। राज्य में 2 अक्टूबर 2015 से विद्यालय जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता व स्वास्थ्य शिक्षण के साथ साथ मुफ्त सैनिटरी नेपकिन पैड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। (सम्बंधित: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
6. **निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन वितरण योजना**— “राजस्थान किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम” के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं में अध्ययनरत 13 से 19 वर्ष आयुवर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन वितरण किया जाता है। (सम्बंधित: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
7. **पालनहार योजना**— अनाथ बालक/बालिकाओं के लालन—पालन की व्यवस्था निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की

हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियाँ

जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पालनहार बनाया जाकर योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बालक/बालिका, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हों, इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं।

बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक होनी चाहिए। पालनहार परिवार (देखभाल करने वाला) की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चों को दो वर्ष की उम्र में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। 5 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह, स्कूल में प्रवेशित होने के पश्चात् – 675 रुपये प्रतिमाह व वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये की वार्षिक सहायता देय है। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

बेटी की शिक्षा, सबकी शिक्षा

- 1. निःशुल्क शिक्षा**— राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण कराया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक सभी वर्ग की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)



- 2. आपकी बेटी योजना**— सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक बी.पी.एल. परिवार की समस्त वर्गों की छात्राओं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो, को 1100रु. वार्षिक आर्थिक सहायता देय है। साथ ही इसी योजना में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं को 1500 रु. की वार्षिक सहायता देय है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)
- 3. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन-राष्ट्रीय योजना**— योजनान्तर्गत सोलह वर्ष से कम आयु की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की अविवाहिता बालिका, जो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही हैं, को 3000 रूपये की सावधि जमा राशि उसे कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण होने पर या 18 वर्ष पूर्ण करने पर दी जाती है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

4. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति**— राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्रा, जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, को मासिक छात्रवृत्ति देय है। ऐसे छात्र को 75 रु. एवं छात्रा को 125 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय है। कक्षा 9 से 10 में पढ़ रहे छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक नहीं है, को डे-स्कोलर छात्र/छात्रा को 150 रु. प्रतिमाह व एकमुश्त 750 रु. प्रतिवर्ष एवं हॉस्टलर छात्र/छात्रा को 350 रु. प्रतिमाह एवं एकमुश्त 1000 प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति दी जाती है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

5. **सफाई के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति**— राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं, जिनके माता-पिता/ संरक्षक सफाई कार्य से जुड़े हैं, को 110रु. प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) एवं



एकमुश्त राशि 750 रु. प्रतिवर्ष दी जाती है। योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 में प्रवेश हेतु अधिकतम 500 रु., शिक्षण शुल्क हेतु 350 रु प्रतिमाह या वास्तविक राशि जो भी कम हो देय है। रख-रखाव भत्ता, जिसमें कक्षा 1 से 10 में छात्रावासी को 600

बेटी को मत समझो भार, जीवन का है आधार।

रु. प्रतिमाह व गैर छात्रावासी को 100 रु प्रतिमाह देय है।
(सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

6. अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति— योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ी जाति के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं, जिनके माता—पिता की वार्षिक आय 44500 रु. से अधिक न हो, को 40 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय है। विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक की राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं, जिनके माता—पिता आयकर दाता नहीं हैं, को 100 रु. एवं कक्षा 9 से 10 की छात्राओं को 120 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

7. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति— योजनान्तर्गत कक्षा 11 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं जिनके माता — पिता / संरक्षक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में एक लाख रुपये से अधिक न हो, को मासिक छात्रवृत्ति देय है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जन—जाति, विशेष पिछड़ी जाति के विधार्थियों के लिए 230 रु. प्रतिमाह तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रु प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) की दर से छात्रवृत्ति देय है। योजना के तहत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं हो, को 230 रु. से 550 रु. तक अनुरक्षण भत्ता देय है। ओ.बी.सी./एस.बी.सी. के छात्र/छात्रा जिनके परिवार की आय 1 लाख रु. से अधिक न हो, को 160

रु. से 350 रु. अनुरक्षण भत्ता देय है। योजना में देय शिक्षण शुल्क, के पुनर्भरण के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा को छात्रावासी होने पर 380 से 1200 रुपये तक एवं गैर छात्रावासी छात्र/छात्रा को रु. 230 से 550 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता प्रतिमाह तथा ओ.बी.सी. /एस.बी.सी. के छात्रावासी छात्र/छात्रा को रु. 260 से रु. 750 तक एवं गैर छात्रावासी छात्र/छात्रा को 160रु. से 350रु तक अनुरक्षण भत्ता देय हैं। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

- 8. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय**— ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाओं, जो 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की हैं, ड्रॉपआउट/अनामांकित बालिकाओं, मैला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं, विधवाओं की पुत्रीयां, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार इत्यादि वर्ग की छात्राओं को केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 तक मेरिट (75%) के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है। समस्त जिलों के चयनित ब्लॉकों में प्रत्येक विद्यालय में 100 सीटें हैं। सामान्यतः 75 प्रतिशत सीटों पर एससी / एसटी बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है इसके तहत ड्रॉपआउट, मैला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं, विधवा की पुत्री, अनाथ, उपेक्षित व

इन्द्र धनुष से सजेंगे रंग, जब संग होगी बेटी की तरंग

शोषित छात्राओं को इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। 25 प्रतिशत सीटें सामान्य व ओबीसी वर्ग की बीपीएल बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इन विद्यालयों में बालिकाओं का शिक्षण, पाठ्य-पुस्तकें, आवास-भोजन आदि सभी निःशुल्क है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)



9. **शारदे बालिका छात्रावास**— कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से 8वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था इन छात्रावासों के माध्यम से की जाती है। इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / अल्प संख्यक व बीपीएल परिवार की बालिकाओं पर 1500 रु. प्रति बालिका प्रतिमाह की दर से भोजन पर व्यय किया जा रहा है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)



10. **राजकीय बालिका गृह** :- सभी जिला मुख्यालयों पर 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालिकाओं हेतु राजकीय बालिका गृह संचालित है। उक्त गृहों में आवासीय बालिकाओं के लिए

निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि सुविधायें प्रदान की जाती है। (सम्बंधित: बाल अधिकारिता विभाग)

11. बालिका आवासीय विद्यालय— राज्य में वर्तमान में 19 (10

जर्मन द्वारा प्राप्त वृहद्व आर्थिक सहयोग एवं 9 राज्य सरकार द्वारा) बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक



की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

12. आर्थिक सम्बलता पुरस्कार— राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली विकलांग बालिकाओं को 2000 रु. प्रतिवर्ष एकमुश्त सहायता देय है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

13. गार्गी पुरस्कार व प्रोत्साहन योजना— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रु. प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली

लक्ष्मी का वरदान है बेटी, घरती पर भगवान है बेटी

बालिकाओं को 5000रु. व प्रमाण पत्र देय है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

14. मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना— मेधावी बेटियों के लिए राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक जिले की दो बेटियां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान (न्यूनतम 75 प्रतिशत) प्राप्त किया है उनका चयन मेधावी छात्रा के रूप में किया जाता है। इन बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 11 व 12 में स्टेशनरी, यूनिफार्म आदि के लिए 15,000 रु. वार्षिक एकमुश्त राशि तथा कक्षा 11 व 12 में अध्ययन (छात्रावास, कोचिंग, शिक्षण शुल्क, खेलकूद, प्रशिक्षण आदि) हेतु 1 लाख रुपये तक का वास्तविक व्यय तथा कक्षा 12 के पश्चात स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु 2 लाख रुपये तक के वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

15. साईकिल योजना व ट्रांसपोर्ट वाऊचर — योजनान्तर्गत अपने निवास से 5 किमी. से कम दूरी वाले राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल उपलब्ध कराई जाती है एवं 5 किमी. से अधिक दूर पढ़ने के लिए जाने वाली कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाऊचर के रूप में 20रु. प्रतिदिन बस किराया देय है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)



16. बालिका छात्रावास— महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास में रहकर अध्ययन करने की सुविधा इन छात्रावासों में उपलब्ध कराई जाती है। इन छात्रावासों में प्रवेशित बालिकाओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

17. देवनारायण कोंचिग योजना— सम्बन्धित जिलों के कक्षा 9

से 12 में पढने वाले छात्र/ छात्राओं को विद्यालय समय के पहले या बाद में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित की कोंचिग की सुविधा योजनान्तर्गत उपलब्ध



है। यह योजना सवाईमाधोपुर, झालावाड, करौली, अलवर व धौलपुर जिलों में लागू है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

18. अनुप्रति योजना— राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विधार्थियों को प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पृथक-पृथक 4 योजनाएं अनुप्रति के नाम से संचालित की जा रही हैं। योजनान्तर्गत यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण

बेटा आन है तो बेटी शान है

होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 65,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये एवं अन्तिम रूप से चयन पर 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये एवं अन्तिम रूप से चयन पर 5,000 रुपये देय है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के विधार्थियों के राजस्थान के राजकीय मेडिकल/इन्जीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देय है। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग)

19. विदेशों में अध्ययन योजना— राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं यदि विदेश में अध्ययन करती हैं तो उनका सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

20. मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना :— कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत निःशुल्क दिया जाता है। राज्य के प्रत्येक जिले में दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। (सम्बंधित: खेल एवं युवा मामलात विभाग)



21. कस्तूरबा गांधी एस.टी.डी.आर योजना— राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालयों से 10वीं उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये राशि की एफ.डी.आर. दिया जाने का प्रावधान है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

22. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना — योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रति बालिका को 5,000 रुपये दिये जाते हैं। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)

23. मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार— राजकीय मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करावाई जाती है। (सम्बंधित: शिक्षा विभाग)



24. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति :— अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

की नवीन योजना वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश फीस छात्रावासी/डे स्कोलर हेतु 500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो), शिक्षण शुल्क कक्षा 6 से 10 तक छात्रावासी/डे स्कोलर हेतु 350 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) दस माह के लिए, अनुरक्षण भता एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए कक्षा 1 से 5 तक छात्रावासी हेतु शून्य एवं डे-स्कोलर हेतु 100 रुपये प्रतिमाह एवं कक्षा 6 से 10 तक छात्रावासी हेतु 600 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) एवं डे-स्कोलर हेतु 100 रुपये प्रतिमाह देय है। आवेदन उस विद्यालय के संस्था प्रधान को जिसमें छात्र/छात्रा अध्ययनरत है, को करना होगा। इस योजना में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सम्बन्धित : अल्पसंख्यक मामलात विभाग)

- 25. अल्पसंख्यक छात्रावास :-** अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त सम्भाग मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों तथा 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स पर चरणबद्ध रूप से उक्त छात्रावास स्थापित किये जाने हैं। योजनान्तर्गत महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु कुल 108 अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित किये जाने हैं। इस

घर में रोशनी का सागर यानि बेट्टी

योजनान्तर्गत संभाग जयपुर, कोटा व अजमेर में 100 बालिकाओं हेतु शेष सम्भागों, जिला मुख्यालयों तथा 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में 50 छात्र-छात्राओं के लिए स्थान उपलब्ध रहेंगे। वर्तमान में अल्पसंख्यक छात्रावास पात्र स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं, इस योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेशित प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए रूपये 1900 प्रतिमाह तथा अधिकतम रूपये 18050 (अधिकतम 10^{1/2} माह) अनुदान देय है। वर्ष 2015-16 की अवधि से कोटा एवं जोधपुर में (बालिका) तथा फतेहपुर (सीकर) एवं रामगढ़ (अलवर) में (बालक) अल्पसंख्यक छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् पर है। (सम्बन्धित : अल्पसंख्यक मामलात विभाग)

26. महिला योग्यता छात्रवृत्ति – योजनान्तर्गत सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा के आधार पर उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं, जिन्होंने 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किये हैं तथा अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये एक लाख रूपये से कम हो, को प्रतिमाह 120/- रूपये की दर तथा पीजी में प्रवेश पर 200/- रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय है। हॉस्टलर को 200/- प्रतिमाह तथा पी जी में प्रवेश पर 600/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय है। आवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। (सम्बन्धित- कॉलेज शिक्षा विभाग)

27. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति – ऐसी उत्तीर्ण छात्राएं, जिनके माता-पिता आयकर

दाता नहीं हो, छात्रवृत्ति हेतु पात्र है। योजनान्तर्गत एडमिशन तिथि से प्रतिमाह 150/- की दर से छात्रवृत्ति देय है। विधार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करें जहाँ वे अध्ययनरत हैं तत्पश्चात आवेदन सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को प्रेषित करने होंगे। (सम्बन्धित- कॉलेज शिक्षा विभाग)

28. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण/ प्रोत्साहन राशि

योजना:- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राओं हेतु, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, स्कूटी वितरण योजना संचालित है तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं हेतु 10,000 रुपये एवं स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देय है, जिन्होंने द्वितीय, तृतीय



वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध की पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। आवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे। (सम्बन्धित- कॉलेज शिक्षा विभाग)

29. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना:-

योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विधार्थियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत

या अधिक अंक प्राप्त किये हो तथा जो कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो, को प्रतिमाह 500 रूपये, अधिकतम 5000रु वार्षिक (अधिकतम 5 वर्षों के लिए) छात्रवृत्ति देय है। विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करे, जहाँ वह अध्ययनरत हों। (सम्बंधित— उच्च शिक्षा विभाग)

- 30. मेघावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना—** राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8, 10, 12वीं (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला) एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में शिक्षा सत्र वर्ष 2015–16 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में निर्धारित प्रतिशत व प्रथम स्थान(निर्धारित संख्या) के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को लैपटॉप उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के संवर्द्धन व अर्जित करने के उद्देश्य से निःशुल्क वितरित किया जावेगा। (सम्बंधित – उच्च शिक्षा विभाग)



- 31. छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता—** ऐसी जनजाति छात्राएं जो निजी एवं राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो, राजस्थान की मूल निवासी हो, जिनके माता—पिता आयकर दाता नहीं हों, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 350 /— प्रतिमाह के हिसाब से अधिकतम 10 माह हेतु आर्थिक

सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन सम्बंधित महाविद्यालय, जिसमें छात्राएं अध्ययनरत है, में करना होगा। (सम्बंधित—जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग)

32. जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण योजना:— ऐसी जनजाति छात्राएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है तथा जिनके माता—पिता आयकरदाता नहीं है, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कक्षा 10 वीं और 12 वीं में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, उन्हें निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जायेगी। कक्षा 12 वीं में पुनः 65 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये है, उन्हें स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में 20,000 रुपये, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। (सम्बंधित—जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग)

33. एकल / द्विपुत्री पुरस्कार योजना:— बोर्ड द्वारा जारी स्थाई राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को, जो अपने परिवार की एक मात्र संतान हो या परिवार में दो संताने हैं और दोनों ही पुत्रियां हैं या तीन पुत्रिया हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद दो जुडवां हो, को पुरस्कार स्वरूप राज्य स्तर पर माध्यमिक परीक्षा प्रथम 15 स्थान तक 21 हजार रुपये, प्रवेशिका परीक्षा पर प्रथम 10 स्थान तक 21 हजार रुपये, उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रथम 10 स्थान तक 31 हजार रुपये व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा प्रथम 5

स्थान तक 31 हजार रूपये देय है। जिला स्तर पर माध्यमिक परीक्षा प्रथम 5 स्थान तक 5 हजार रूपये, प्रवेशिका परीक्षा पर प्रथम 5 स्थान तक 5 हजार रूपये, उ.माध्यमिक परीक्षा प्रथम 5 स्थान तक 5 हजार रूपये व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा प्रथम 5 स्थान तक 5 हजार रूपये देय है। (सम्बन्धित— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)

34. महिला खेलकूद योजना:—

महिलाओं एवं बालिकाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए पंचायत समिति स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर खिलाड़ियों को नियमानुसार यात्रा व दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है। (सम्बन्धित— राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद)



35. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना:—

हिताधिकारी के बच्चों की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि प्रोफेशनल शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन राशि 2 से 8 गुना तक बढ़ोत्तरी करने की एकीकृत योजना लागू। कक्षा 6 से आगे तक की शिक्षा के लिए 8000 /— से 25000 /— रूपये तक छात्रवृत्ति तथा मेधावी बच्चों को कक्षा 8 से आगे तक 4000 /— से 35000 /— रूपये तक प्रोत्साहन राशि देय है। (सम्बन्धित : श्रम विभाग)

बेटी का विवाह नहीं है बोझ, यह है पुण्य संस्कारों का लेख

1. सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना:—

सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने तथा विवाहों में होने वाले व्यर्थ व्यय को कम करने के लिए राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है। दिनांक 01.04.2016 से प्रति जोड़ा अनुदानित



राशि रु 12500 /— को बढ़ाकर रु 18000 /— किया गया है, इसमें से नवविवाहिता (वधू) को दी जाने वाली राशि रु 10000 /— को बढ़ाकर राशि रु 15000 /— प्रति जोड़ा व संस्था को विवाह आयोजन के रूप में देय राशि रु 2500 /— प्रति जोड़ा को बढ़ाकर राशि रु 3000 /— किया गया है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

2. **सहयोग योजना:—** सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की अधिकतम दो कन्या के विवाह पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। उक्त योजनान्तर्गत विवाह पर 10000 रुपये की आर्थिक सहायता

देय है। 10 वीं उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 5000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 10000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

3. **हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना (शुभशक्ति योजना) :-** योजनान्तर्गत कम से कम 3 माह पूर्व माता/पिता या स्वयं का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है। योजना में हिताधिकारियों की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह अथवा महिला हिताधिकारी को स्वयं के विवाह में सहायता देय है। योजनान्तर्गत को 55000 रु. की आर्थिक सहायता देय है। (सम्बंधित: श्रम विभाग)
4. **डॉ. सविता अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना:-** हिन्दु स्वर्ण जाति के युवक/युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह पर प्रोत्साहन राशि देय है। योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना एवं विवाह का पंजीकरण होना आवश्यक शर्त है। इसके साथ ही विवाह से एक वर्ष की अवधि में आवेदन आवश्यक है। देय लाभ —5 लाख रुपये। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
5. **विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना:-** योजना के अन्तर्गत ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, जिसके 25 वर्ष

बेटी है कुदरत का उपहार, इसे दो जीने का अधिकार

या उससे अधिक का कोई सदस्य परिवार में नहीं है एवं उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो, की दो कन्या सन्तानों के विवाह के लिए सहायता देय है। कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत 10000 रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

- 6. विधवा पुनर्विवाह योजना:—** विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर उपहार स्वरूप 15000 रुपये पुनर्विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने का प्रावधान है। (सम्बंधित: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

रोजगार है अब आसान: अनेक योजनाओं में मिला अधिमान, डिजिटल शिक्षा है एक वरदान

- 1. महिलाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना—** योजनान्तर्गत राज्य की सभी वर्ग की 16–40 आयु वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से निःशुल्क दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को दो प्रकार के कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। प्रथम “राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन

इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी'' (RS-CIT) 3 माह की अवधि के लिए है, जिसमें 16-40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिलाएँ पात्र हैं एवं द्वितीय "डिजिटल सहेली" प्रशिक्षण 1 माह की अवधि के लिए है, जिसमें 16-40 वर्ष आयु वर्ग की 5वीं पास महिलाएँ पात्र है। यह प्रशिक्षण अनुमोदित ज्ञान केन्द्रों पर दिया जाता है एवं



प्रशिक्षणोपरान्त कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

- 2. महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आयजनक गतिविधियों का प्रशिक्षण-** महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के उपरान्त इनकी सदस्य महिलाओं को उद्यमिता विकास, दक्षता निर्माण एवं कौशल उन्नयन, आयजनक गतिविधि प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)
- 3. प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना-** योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 10 स्वयं

बेटी को मरवाओगे, तो दुल्हन कहाँ से लाओगे

सहायता समूहों का चिन्हिकरण कर उन्हें विभाग द्वारा अनुमोदित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से आमुखीकरण एवं प्रबंधकीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिलाये जाते हैं, इसके पश्चात् उन्हें उनकी रूचि, स्थानीय आवश्यकता एवं विपणन संभावना अनुसार आयसृजक प्रशिक्षण दिलवाकर मार्केट लिंगेज करवाया जाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाता है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

4. **स्वावलम्बन योजना**— योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। योजनान्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

5. **अमृता हाट बनी :- महिला समृद्धि का आधार**— महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के आर्थिक उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण हेतु समूहों द्वारा निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों के प्रदर्शन, विपणन, के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने तथा महिला



स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के कौशल विकास हेतु वर्ष 2006 से SHG हाट बाजारों का आयोजन किया जा रहा है।

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों का स्थानीय स्तर पर ही विपणन के लिए नवीन अवसर उपलब्ध कराने बाबत जहाँ वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय अमृता हाट के अलावा “संभागीय अमृता हाट” को आयोजन किया गया वहीं वर्ष 2016-17 में नवाचार के तहत “राष्ट्रीय अमृता हाट” व “संभागीय अमृता हाट” के साथ साथ राज्य के आठ जिलों में भी “जिला स्तरीय अमृता हाट” का आयोजन किया जा रहा है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

6. **कौशल शक्ति योजना 2014:**— आई.टी.आई. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष एवं दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं पोलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निमार्ण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों के एक पुत्र/पुत्री इस योजना के हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। आई.टी.आई पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विद्यार्थियों को रु. 5000, विशेष योग्यजनों को रु. 7000, एवं केवल दो पुत्रियां होने पर रु. 7000 देय है। पोलिटेक्निक डिप्लोमा हेतु :- सामान्य विद्यार्थियों को रु

आओ घर-घर अलख जगायें, कन्या संतान को गले लगायें

7000, विशेष योग्यजनों को रू. 8000 एवं केवल दो पुत्रियां होने पर रू. 8000 /— देय है। (सम्बन्धित: तकनीकी शिक्षा विभाग)

7. **महिला विकास ऋण योजना:**— इस योजना में महिलाओं को अचल संपत्ति गिरवी रखे बिना अकृषि कार्य एवं डेयरी उद्देश्य हेतु 50000 /—रू. तक की ऋण सुविधा दी जाती है। ऋण की अवधि 5 वर्ष होती है। (सम्बन्धित: सहकारिता विभाग)



8. **अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना :-** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। (सम्बन्धित : अल्पसंख्यक मामलात विभाग)
9. **व्यवसायिक ऋण स्कीम योजना :-** व्यवसायिक ऋण के लिए महिला एवं बीपीएल वर्ग को प्राथमिकता दी गई है और लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। महिला उद्यमी द्वारा ऋण के समय पर चुकारा करने पर, सम्पूर्ण ब्याज की छूट दी गई है। (सम्बन्धित : अल्पसंख्यक मामलात विभाग)

- 10. महिला समृद्धि योजना :-** इस योजना के तहत गरीब महिला जिनकी उम्र 16 से 45 वर्ष है एवं पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु. 1,03,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 81,000/- से अधिक नहीं है, को स्वरोजगार के लिए कौशल एवं लघु व्यवसाय हेतु SHG ग्रुप बनाकर प्रशिक्षित किया जाता है। इससे विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रुप में प्रत्येक सदस्य को रुपये 50,000/- तक ऋण दिया जा सकता है जिसकी ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी। (सम्बन्धित : अल्पसंख्यक मामलात विभाग)
- 11. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:-** योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग एवं औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। योजनान्तर्गत ग्रामोद्योग के लिए अधिकतम 25.00 लाख रुपये तथा सेवा कार्यो हेतु अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान है। उक्त ऋण पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के अनुरूप अलग-अलग अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। किसी भी जाति की महिला प्रार्थी को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान देय है। योजनान्तर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परन्तु इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग को लाभान्वित करना है। (सम्बन्धित : उद्योग विभाग)

सशक्त महिला – उन्नत समाज

12. धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र— राज्य में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में चिन्हित पंचायत समितियों में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के विपणन तथा महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित कार्यक्रमों हेतु एक मंच भी उपलब्ध रहेगा। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)



13. भामाशाह स्वास्थ्य एवं बीमा योजना— राज्य की जनता को राजकीय चिकित्सालयों के साथ-साथ प्रतिष्ठित चिन्हित गैर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने एवं गरीब व्यक्तियों को उच्च निजी चिकित्सालयों में सुविधा दिलवाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में लाभार्थियों को समस्त सुविधाएँ कैशलेस होंगी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी हेतु 30,000 रु. और चिन्हित गम्भीर बीमारियों हेतु 3,00,000 रु. का स्वास्थ्य बीमा

कवरेज दिया जावेगा। बीमा से पूर्व की समस्त बीमारियां कवर होंगी। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले समस्त परिवारों को लाभ दिया जायेगा। (सम्बन्धित : स्वास्थ्य विभाग)



14. **सरकारी सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व**— इस योजना के तहत महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए तथा समाज में उच्च दर्जा दिलवाने के लिए उन्हें सरकारी सेवाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। (सम्बन्धित : कार्मिक विभाग)
15. **महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति पंजीयन पर छूट**— यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्बल व परिवार में पहचान दिलाने के लिए लागू की गई। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल प्रवर्ग की महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति के स्थानान्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत व अन्य महिलाओं के मामले में 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने की रियायत दी गई है। (सम्बन्धित : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)

बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो

16. पंचायतीराज व स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व— महिलाओं को राजनीति में पुरुषों के बराबर लाने व देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत अनुपात में सीटों का आरक्षण है, जिन पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं।

17. भामाशाह रोजगार सृजन योजना:— इसमें 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी पंजीकृत बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के युवाओं, दिव्यांगों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो, प्रत्येक अभ्यर्थियों को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तथा उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान के साथ दिया जाता है।(संबंधित— उद्योग विभाग)

18. अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल महिला के पक्ष में पंजीकृत होने वाले दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई है। (सम्बन्धित : राजस्व विभाग)

19. परिवहन विभाग—

1. स्कूटियों पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस, एक मुश्त रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स व सरचार्ज भी माफ किया जा रहा है।
2. आर.एस.एल.डी.सी., परिवहन विभाग एवं ऑटोमोबाइल कम्पनीज के सहयोग से महिलाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग केन्द्र संचालित है।

3. लर्निंग लाइसेन्स व चालक लाइसेन्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान

1. **भामाशाह योजना ने महिलाओं को बनाया मुखिया—** राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं

राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भामाशाह योजना लागू की गयी है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जा कर समग्र डाटाबेस तैयार किया गया है जिसका



उपयोग सभी सरकारी विभागों के लिये हो सकेगा। इस योजना में परिवारों द्वारा बैंक खाते खुलवाये गए तथा लाभार्थियों के आधार नम्बर भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते से इंटरलिंग किए गए हैं। इस योजना ने महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया है एवं महिलाएं इस कार्ड के माध्यम से लेनदेन भी कर सकती हैं। महिलाओं को सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्थानान्तरण योजना में पेंशन एवं बीपीएल खातों में सीधे ही पैसे स्थानान्तरित किए जाते हैं। महिलाएं अपना भामाशाह कार्ड सभी ई-मित्रों पर बनवा सकती हैं। (सम्बन्धित : आयोजना विभाग)

2. **डॉ. अम्बेडकर सम्मान एवं पुरस्कार:**— महिलाओं को सम्मान दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के लिये कल्याणार्थ कार्य करने वाली महिला/संस्था को अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार दिया जाता है। पात्रता रखने वाली एक संस्था या एक महिला को 51000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह सम्मान बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को दिया जाता है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

3. **नारी शक्ति पुरस्कार—**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 08 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रख्यात महिलाओं, उत्कृष्ट संगठनों और



संस्थाओं को “नारी शक्ति पुरस्कार” के नाम से विभिन्न श्रेणियों में 20 नारी शक्ति पुरस्कार दिये जाते हैं। यह पुरस्कार मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित है—संस्थागत एवं वैयक्तिक। संस्थागत में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, गैर—सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किये गये कार्य शामिल है। इसके लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से भी नामांकन


आमंत्रित किए जाते हैं। वैयक्तिक में यह पुरस्कार, विशेष रूप से समाज की संवेदनशील और सीमांत वर्ग की महिलाओं को विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार के तहत प्रमाण पत्र और 2:00 लाख रूपये की नकद राशि दी जाती है। (सम्बन्धित : महिला अधिकारिता विभाग)

4. **महिला शक्ति पुरस्कार**— राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य का नागरिक, जिसने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र यथा साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, सामाजिक भेदभाव एवं हिंसा से सुरक्षा, रोजगारोत्पादक कार्यों, किशोरी बालिकाओं के जीवन की गुणवत्ताओं के उन्नत करने एवं समाज में महिलाओं के स्तर को उन्नत करने आदि क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्ष से उत्कृष्ट कार्य किया हो, को पात्र माना जाता है। पुरस्कार राशि 51,000 रु. नगद एक दुशाला एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। (सम्बन्धित : महिला अधिकारिता विभाग)

5. **गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना**— बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरुद्ध अनुकरणीय कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं एवं मानदेय कर्मियों

बेटी अभिशाप नहीं वरदान है।

आदि को मान्यता व प्रोत्साहन देने हेतु चयनित प्रत्येक व्यक्ति / संस्था को 25,000 रु. नकद, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह पुरस्कार के रूप में प्रतिवर्ष बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रदान किये जायेंगे। (सम्बन्धित : महिला अधिकारिता विभाग)




6. महिला स्वयंसिद्धा योजना:—

निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करने एवं प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें। इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिला को एवं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हों, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस योजना में प्रवेशित महिलाओं को भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, कपड़े, आवास सुविधा चिकित्सा आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

7. महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्र योजना :— राज्य के 40 पुलिस जिलों में गैर-शासकीय संस्थाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, संशोधित 2016 लागू की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर हिंसा से व्यथित/पीड़ित महिला को उपयुक्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर



उसे हिंसा से संरक्षण प्रदान कराये जाने में सहयोग देना है। (सम्बन्धित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

8. **महिला उत्पीड़न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जयपुर एवं कोटा में एक-एक नवीन विशेष न्यायालय की स्थापना।** (सम्बन्धित : न्याय विभाग)
9. **अपराजिता:—** “अपराजिता” बना पीड़ित महिलाओं की

मदद का राष्ट्रीय मॉडल महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में “अपराजिता” : वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेन्टर फॉर वीमेन का संचालन



किया जा रहा है। यह भारत का पहा ऐसा मॉडल है, जो 24 घण्टे संचालित है। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिला को एक ही स्थान

बेटी सृष्टि का मूल आधार है।

पर चिकित्सकीय, पुलिस, विधिक, परामर्श सेवाएं, अस्थाई आश्रय, एकल खिडकी के माध्यम से प्रदान करना तथा पीड़ित महिलाओं को समय पर राहत एवं न्याय सुलभ करवाना केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

10. **माता यशोदा पुरस्कार योजना:**— योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मां व बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यरत मानदेयकर्मियों का चयन कर राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राशि रु. 5100/- व आंगनबाड़ी सहायिका व सहयोगिनी को राशि रु. 2100/- का नगद पुरस्कार दिया जात है। वर्ष 2016-17 में 912 मानदेयकर्मियों को सम्मानित किया गया है। (सम्बंधित: समेकित बाल विकास सेवाएं)
11. **सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार:**— साथिन ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य में साथिन विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों को समर्पित भाव से क्रियान्वित कर रही है। साथिन के कार्यों की पहचान को सुनिश्चित करते हुए विभागीय कार्यक्रमों के प्रति उनका उत्साह बनाये रखने एवं उनको प्रोत्साहित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) के मुख्य समारोह में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ साथिन को 21,000/- रुपये व प्रशस्ति पत्र से तथा जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ साथिन को 11,000/- रुपये व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। (सम्बंधित: निदेशालय महिला अधिकारिता)

12. **महिलाओं को समूह में यात्रा पर रियायत :-** निगम बसों में समूह यात्रा के लिए तत्परता हेतु राजस्थान राज्य में न्यूनतम 5 महिलाओं के समूह को, साधारण व द्रुतगामी सेवाओं में 25 प्रतिशत रियायत देय है। (सम्बंधित—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम)



जीवन एवं भविष्य सुरक्षा

1. **निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना:-** सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान मण्डल द्वारा राजस्थान स्टेट हैल्थ इन्श्योरेन्स एजेन्सी को किया गया है जिसमें आवश्यकता होने पर किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अपना पंजीयन परिचय पत्र तथा भामाशाह कार्ड लेकर जाने पर निःशुल्क इलाज का लाभ देय है। योजना में मान्यता प्राप्त 900 से अधिक सरकारी तथा प्राईवेट अस्पतालों में सामान्य बीमारियों में 30000 रूपये तक तथा चिन्हित गम्भीर बीमारियों में 3 लाख रूपये तक वार्षिक निःशुल्क इलाज की सुविधा देय है। (सम्बन्धित : श्रम विभाग)
2. **निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना :-** हिताधिकारियों

दो कुल की लाज होती हैं बेटियां

को सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने अथवा स्वयं की भूमि पर घर बनाने के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत 1.50 लाख रुपये की सीमा तक अनुदान देय है। केवल दो पुत्रियों वाले हिताधिकारियों को वरीयता दी जाती है। (सम्बन्धित : श्रम विभाग)

3. **निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना :-** पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना," "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना," तथा "अटल पेंशन योजना," में अपने बचत बैंक खातों से जमा करवायी गई प्रीमियम/अशंदान राशि का निर्धारित सीमा में मण्डल द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। (सम्बन्धित : श्रम विभाग)
4. **सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना :-** पंजीकृत हिताधिकारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, स्थायी व पूर्ण अपंगता होने 3 लाख रुपये, स्थायी व आंशिक अपंगता होने 1 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तथा घायल होने पर 20000 रुपये तक सहायता राशि। पात्रता —(I) पंजीकृत हिताधिकारी हो (II) दुर्घटना में मृत्यु होने पर FIR व पोस्टमार्टम रिपोर्ट (III) सामान्य मृत्यु होने मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। (सम्बन्धित : श्रम विभाग)
5. **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना—** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के

दुर्घटना बीमा हेतु एकमुश्त प्रीमियम राशि जमा कराई जाती है। इसमें छात्र/छात्राओं के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1,00,000 रु. तथा शारीरिक अंग-भंग होने पर 1,000 रु. से 1,00,000 रु. तक के बीमा धन का भुगतान किया जाता है। (सम्बन्धित : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

वृद्धावस्था में मिलता पूरा मान—सम्मान

- 1. वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन पेंशन:—** वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है। योजनान्तर्गत 8 वर्ष से कम आयु के पात्र विशेष योग्यजन को 250 रु. प्रतिमाह, 8 वर्ष व अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजन को 500 रु. प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक आयु की पात्र महिला को 500 रु. प्रतिमाह, 18 वर्ष व अधिक आयु की पात्र विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को 500 रु. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के सभी श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को देय है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
- 2. महिला सदन/नारी निकेतन सम्भाग स्तर पर:—**राज्य महिला सदन का उद्देश्य अनैतिक एवं सामाजिक रूप से उत्पीडित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमें नवजीवन का संचार करना है। सदन में संकटग्रस्त

वृद्धाओं का करो सम्मान इसी में है सबका मान

महिलाओं को न्यायालय, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैधानिक संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं से स्थानान्तरण के बाद प्रवेश दिया जाता



है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार आवासनियों को उनके अभिभावकों व संरक्षकों को सौंप दिया जाता है। महिला सदन में निवासित आवासनियों को विवाह द्वारा पुनर्वासित भी किया जाता है। निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा शिक्षण प्रशिक्षण आदि पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करती है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

3. **भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम:**— निःसहाय / निराश्रित एवं अशक्त / वृद्ध दम्पति की उचित देखभाल एवं उनके जीवन को उल्लास पूर्वक बनाने के लिए योजना संचालित है। वृद्ध एवं अशक्त पुरुष / महिला जिनकी आयु क्रमशः 55 व 60 वर्ष या इससे अधिक है एवं इसी आयु के निराश्रित निःसहाय संतानहीन अथवा परित्यक्ता वृद्ध महिला / पुरुष डे-केयर सेंटर में प्रवेश पा सकते हैं। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में एकीकृत पैकेज के अन्तर्गत 25-25 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। आश्रमों का समय

यदि सृष्टि हमें चलानी है, तो कन्या संतान बचानी है

प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक का है। इस योजना में वृद्ध अशक्त महिला/पुरुष उनके परिवार से जुड़े रहते हैं एवं उन्हें दैनिक आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ शिक्षा, धार्मिक स्थलों का भ्रमण एवं निःशुल्क चाय अल्पाहार, पत्रिकाओं व मनोरंजन आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

4. विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन योजना:— किसी भी उम्र की विधवा जिसके परिवार में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई कमाऊ सदस्य नहीं हो, किसी भी आयु की विधवा जो एचआईवी/एड्स पॉजीटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहां पंजीकृत हों, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता संबंधी शर्तों में छूट प्रदान की गयी हैं। परित्यक्ता से तात्पर्य है कि कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला जो कि न्यायिक निर्णय से अलग हुई हों, ऐसी महिलायें जिनके प्रकरण पांच वर्ष से अधिक समय से न्यायालय में तलाक के लिये लम्बित है या अन्य अधिकारों के लिये विचाराधीन है, को विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में 500 रुपये प्रति माह देय है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

5. राष्ट्रीय पेंशन योजनाए:— राज्य में तीन राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं क्रमशः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 वर्ष एवं ऊपर आयु के बी.पी.एल. परिवार वाले वृद्धों हेतु), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (40 वर्ष एवं ऊपर आयु के बी.पी.एल. परिवार की विधवा हेतु) तथा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (18 वर्ष एवं ऊपर आयु के बी.पी.एल. परिवार के निःशक्तजन) लागू हैं जिनमें राशि रूपये 500/-, 750/- (जो लागू हो) प्रति पेंशनर प्रतिमाह देय है। (सम्बन्धित : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)



**योजनाओं की अधिक जानकारी हेतु
सम्बन्धित वेबसाईट पर लॉग-इन करें :**

क्र. स.	विभाग का नाम	वेबसाईट
1	निदेशालय महिला अधिकारिता	www.wcd.rajasthan.gov.in
2	स्वास्थ्य विभाग	www.rajswasthya.nic.in
3	समेकित बाल विकास सेवाएं	www.wcd.rajasthan.gov.in
4	शिक्षा विभाग	www.shiksha.rajasthan.gov.in
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	www.sje.rajasthan.gov.in
6	श्रम विभाग	www.labour.rajasthan.gov.in
7	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	www.minority.rajasthan.gov.in
8	बाल अधिकारिता विभाग	www.dccras.in
9	जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग	www.tad.rajasthan.gov.in
10	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	www.transport.rajasthan.gov.in
11	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद	www.rssc.in
12	सहकारिता विभाग	www.rajcooperatives.nic.in
13	खेल एवं युवा मामलात विभाग	www.rssc.in
14	उद्योग विभाग	www.industries.rajasthan.gov.in
15	कार्मिक विभाग	www.dop.rajasthan.gov.in
16	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	www.igrs.rajasthan.gov.in
17	राजस्व विभाग	www.landrevenue.rajasthan.gov.in
18	परिवहन विभाग	www.transport.rajasthan.gov.in
19	आयोजना विभाग	www.planning.rajasthan.gov.in
20	न्याय विभाग	www.lites.low.rajasthan.gov.in
21	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	www.sipf.rajasthan.gov.in
22	कालेज शिक्षा	www.dce.rajasthan.gov.in
23	तकनीकी शिक्षा	www.dte.rajasthan.gov.in